रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 88] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 2008/फाल्गुन 8, 1929

No. 88] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 27, 2008/PHALGUNA 8, 1929

कोरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 111(अ).—(अ) केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन) नियम, 2003 को अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (चयन समिति की अवधि और नामों के पैनल के चयन की रीति) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) 'अधिनियम' से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12)अभिप्रेत है ;

(ख) 'समिति' से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं ।

3. समिति की अवधि. – धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित समिति की अवधि उसके गठन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

4. नामों के पैनल के चयन की रीति — (1) जब कभी भी आयोग में अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की कोई रिक्ति विद्यमान होती है या जब भी ऐसी रिक्ति उद्‌भूत होती है या उद्‌भूत होने की संभावना है तब केन्द्रीय सरकार नामों के पैनल की सिफारिश के लिए ऐसी रिक्ति या रिक्तियों के संबंध में समिति को निर्देश कर सकेगी ।

(2) समिति, आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने वाले नामों के पैनल में सम्मिलित करने के लिए व्यक्तियों को चयन करने के लिए अपनी प्रक्रिया बनाएगी ।

723 GI/2008

(3) समिति उप नियम (1) के अधीन किए गए निर्देश की तारीख से एक सौ बीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें करेगी ।

(4) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त सचिव समिति का संयोजक होगा ।

5. समिति के कृत्य. -- केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निर्देश पर , —

(i) समिति, प्रत्येक ऐसी रिक्ति के संबंध में, जो समिति को निर्दिष्ट की गई है, नियम 4 के उपनियम (2) के अधीन चयनित तीन व्यक्तियों से अनधिक के पैनल की सिफारिश करेगी ।

(ii) समिति इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग में की गई नियुक्तियों का पुनर्विलोकन करेगी और ऐसी नियुक्तियों के संबंध में उचित सिफारिशें करेगी।

[फा. सं. 5/1/2008/सी.एल-5]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2008

G.S.R. 111(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 63 read with sub-section (2) of section 9, of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) and in supersession of the Competition Commission of India (Selection of Chairperson and other Members of the Commission) Rules, 2003 the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Competition Commission of India (Term of the Selection Committee and the manner of selection of panel of names) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) 'Act' means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(b) 'Committee' means the Selection Committee constituted under Sub-section (1) of section 9 of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Competition Act, 2002 (12 of 2003) shall have the same meaning assigned to them in that Act.

3. **Term of the Committee.** – The term of the Committee constituted under sub-section (1) of section 9 shall be for a period of one year from the date of its constitution.

4. **Manner of Selection of a panel of names.** – (1) Whenever any vacancy of Chairperson or other Members of the Commission exists or as and when such vacancy arises or is likely to arise, the Central Government may make a reference to the Committee in respect of such vacancy or vacancies for recommendation of a panel of names.

(2) The Committee shall devise its own procedure for selecting the persons for inclusion in the panel of names to be recommended for appointment as the Chairperson or a Member of the Commission.

(3) The Committee shall make its recommendations to the Central Government, within a period not exceeding one hundred and twenty days from the date of reference made under sub-rule (1).

(4) The Joint Secretary nominated by the Ministry of Corporate Affairs shall be the Convener of the Committee.

5. **Functions of Committee.** – On a reference made by the Central Government,-

(i) the Committee shall recommend a panel of not more than three persons, selected under sub-rule (2) of rule 4, in respect of each vacancy that has been referred to the Committee.

(ii) the Committee shall review the appointments made to the Competition Commission of India before the commencement of these rules and make appropriate recommendations, in respect of such appointments.

[F. No. 5/1/2008/C.L.-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.